सर्वोच्च प्राथमिकता

बी. एन. दीक्षित
विशेष सचिव ।

अर्जेशा. प. सं. - 312/का-2/2004
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2.
लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2004

प्रिय महोदय,

जैसा आप अवगत हैं कि पूर्व में शासनादेश संख्या-20/I/91-का-2/97, दिनांक 03. 11. 1997 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। कालान्तर में, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 09. 07. 1998 द्वारा समूह "ग" के पदों पर भर्ती पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था, किन्तु समूह "घ" के पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहा।

2. शासनादेश संख्या-22/43/82-का-2/2002, दिनांक 16. 07. 2002 द्वारा समूह "घ" के पदों पर आरक्षित वर्गों के बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरने की सीमा तक ही उक्त प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया था।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि वर्तमान समय में राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विचारोपरांत शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिन विभागों में समूह "घ" के पद रिक्त हैं, वे विभाग रिक्त पदों को भरने का औचित्य बताते हुए मा. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त कर समूह "घ" के पदों पर भर्ती कर सकते हैं।

भवदीय,

ह0/-
बी. एन. दीक्षित

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।